UPM0280025312026

न्यायालय अपर मु ख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर रेलवे) मुरादाबाद।

(पीठासीन अधिकारी- सर्वेश कुमार मिश्र-उ **0** प्र **0** न्यायिक सेवा **2073)**

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - **164/2026**

दिनांकः **01.07.2026**

अभियुक्त/प्रार्थी **अवनीश कुमार** द्वारा यह जमानत प्रार्थना पत्र मु0 अ 0 सं0–79/2026 धारा –60/63 आबकारी अधिनियम थाना जी.आर.पी. मुरादाबाद में प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी को उक्त अपराध में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी के विरुद्ध पब्लिक का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी दिनांक 15.06.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है।प्रार्थी द्वारा जमानत पर मुक्त किये जाने की याचना की गई है।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अजमानतीय एवं गंभीर प्रकृति का है।

प्रार्थना पत्र एवं समस्त पुलिस प्रपत्रों का अवलोकन किया गया। संबंधित थाने से प्राप्त आख्यानुसार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध प्रस्तुत मामले के अतिरिक्त अन्य कोई मामला विचाराधीन नहीं है। अभियुक्त प्रस्तुत मामले में दिनांक 15.06.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध 07 वर्ष की सजा से कम दंडनीय है। प्रस्तुत मामले के सह अभियुक्त की जमानत हो चुकी है। अभियुक्त प्रस्तुत मामले में विश्वसनीय प्रतिभू देने के लिए तैयार है। अभियुक्त अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

मु०अ०सं० 79/2026 धारा –60/63 आबकारी अधिनियम थाना जी.आर.पी. मुरादाबाद में अभियुक्त **अवनीश कुमार** द्वारा मुव० 25000/–रुपए की धनराशि का एक प्रतिभू तथा समान धनराशि का निजी बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त किया जाए।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
उत्तर रेलवे, मुरादाबाद
JO CODE UP2073

आशुलिपिकः हरगोविन्द सिंह।
हस्ताक्षर